संख्या–714 /XXIV(1)/2004

प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह,
उप सचिव
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

कुल सचिव/वित्त अधिकारी,
कुमायूँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

उच्च शिक्षा अनुभाग देहरादूनःदिनांक 23 नवम्बर,2004

विषयः– विश्वविद्यालय के डी0एस0बी0परिसर,नैनीताल में वनस्पति विज्ञान की प्रयोगशाला के विस्तारीकरण हेतु अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–भवन–61(टीसी)/270/2004, दिनांक 12 अक्टूबर,2004 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय विश्वविद्यालय के डी0एस0बी0 परिसर,नैनीताल में वनस्पति विज्ञान की प्रयोगशाला के विस्तारीकरण हेतु उत्तरांचल पेयजल संसाधन एवं निर्माण निगम की नैनीताल इकाई द्वारा गठित आगणन रू017.37 लाख के सापेक्ष रू0 13.70 लाख पर प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004–2005 में अनुमोदित सम्पूर्ण धनराशि रू0 13.70 लाख (रूपये तेरह लाख सत्तर हजार मात्र) व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– आगंणन का पुनरीक्षण किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा एवं निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 2004–05 में पूरा कर लिया जायेगा।

3– स्वीकृत की गयी धनराशि जिला शिक्षा अधिकारी,नैनीताल के प्रतिहस्ताक्षर के उपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा आहरित की जायेगी। तत्पश्चात नियमानुसार धनराशि निर्माण एजेन्सी को उपलब्ध करायी जायेगी।

4– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियनता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

5– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

6– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

7– एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

8– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि से मध्य नजर रखते हुए लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

9– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भॉति निरीक्षण उच्चाधिकारियों के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।

10– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए।

11– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए

12– इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004–05 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–11 के आयोजनागत पक्ष के अधीन लेखाशीर्षक–2202–सामान्य शिक्षा–03–विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा–102–विश्वविद्यालयों को सहायता–03– कुमायूँ विश्वविद्यालय–00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

13– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–998/वित्त अनु0–1/2004, दिनांक 19–11– 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव।

संख्या–714 (1)/XXIV(1)/2004–तद्दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2– कोषाधिकारी,नैनीताल।
3–जिला शिक्षा अधिकारी,नैनीताल।
4–परियोजना प्रबन्धक, संबंधित निर्माण इकाई।
5–निजी सचिव,मा0 मुख्य मंत्री।
6–वित्त अनुभाग–1/नियोजन अनुभाग,उत्तरांचल शासन।
7–निदेशक,एन0आई0सी0,उत्तरांचल, देहरादून।
8–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव।